"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2011—कार्तिक 25, शक 1933

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (51).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, स्थानीय नगरीय निकायों के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि संबंधी निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (51), दिनांक 16-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th November 2011

NOTIFICATION

No. F 10-34/2011/CT (R)/V(51).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby, remits the stamp duty, chargeable on instruments executed in favour of urban local bodies relating to land reserved for economically weaker sections.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (52).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा शहरी गरीबों के लिए प्रस्तावित ई.डब्लू.एस. (EWS) आवासीय योजना के तहत्, आवंटित आवास के निष्पादित पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2011/वाक (पं.)/पांच (52), दिनांक 16-11-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th November 2011

NOTIFICATION

No. F 10-34/2011/CT (R)/V(52).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby, remits the stamp duty, chargeable on instrument of lease executed by the urban local bodies for the houses alloted to the urban poor under the proposed EWS scheme.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.